रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1827] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939
No. 1827] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

का. आ. 2052 (अ).—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, एवं **दिनांक 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की दिनांक 10 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 85(अ) के स्थान पर** इस अधिसूचना से पूर्व की गई या की जाने के लिए हटायी गई बातों के सिवाय केन्द्र सरकार इस मामले में सलाहकार समिति की सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात् एतद्वारा निर्धारित करती है कि कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इस अधिसूचना के संलग्न फॉर्म I में उद्योग आधार ज्ञापन (जिसे इसमें इसके पश्चात् ज्ञापन कहा गया है) फाइल करेगा, नामतः

(1) ज्ञापन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट http://udyogaadhaar.gov.in पर ऑनलाइन फाइल किया जाएगा;

(2) उक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित सीमा से नीचे के संयत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश से वस्तुओं के विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) अथवा सेवा देने में लगे प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ज्ञापन फाइल करेगा;

(3) विनिर्माण अथवा सेवा अथवा दोनों सहित एक से अधिक श्रेणियों को इस ज्ञापन में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(4) स्वामित्व-फर्म के मामले में स्वामी, साझेदारी फर्म के मामले में प्रबंध साझेदार तथा हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में कर्ता ज्ञापन में अपनी आधार संख्या देगा;

(5) कम्पनी अथवा सीमित देयता साझेदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) अथवा सहकारी समिति अथवा सोसाइटी अथवा न्यास के मामले में प्राधिकृत (ऑथोराइज्ड) हस्ताक्षरी की आधार संख्या के साथ संगठन की स्थायी खाता संख्या (पैन) का ज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा;

(6) नये ज्ञापन के सत्यापन तथा मौजूदा ज्ञापन के संशोधन के लिए एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) आवेदक की आधार संख्या से जुड़े मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा और आवेदक ज्ञापन प्रस्तुत करने से पूर्व फॉर्म में ओटीपी दर्ज करेगा;

(7) ज्ञापन स्वघोषणा आधार पर फाइल किया जाएगा तथा ऐसी फाइलिंग के समय कोई अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड किया जाना अपेक्षित नहीं है:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इसके लिए प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं आवश्यक हो, ज्ञापन में दी गई सूचना का दस्तावेजी सबूत मांग सकता है;

(8) फॉर्म II में उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र सृजित कर ज्ञापन में दिए गए ई-मेल पते पर मेल किया जाएगा;

(9) उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा;

(10) यदि आवेदक अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरी के पास आधार संख्या नहीं है अथवा यदि किसी कारण से आवेदक के लिए ऑनलाइन फाइलिंग संभव नहीं है तो वहाँ पर विधिवत् भरे हुए फॉर्म I की हार्डकॉपी निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज और पहचान पत्र के साथ सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) अथवा विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अधीनस्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संस्थान (एमएसएमईडीआई) कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी

(क) (i) आधार पंजीकरण आईडी स्लिप; अथवा

(ii) आधार पंजीकरण के लिए किए गए अनुरोध की प्रति;

(ख) आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरी के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई, नामत:-

(i) बैंक पास बुक की फोटोकापी; अथवा

(ii) मतदाता पहचान पत्र कार्ड; अथवा

(iii) पासपोर्ट; अथवा

IndiaCode

(iv) ड्राइविंग लाइसेंस; अथवा

(v) पैन कार्ड; अथवा

(vi) सरकार द्वारा जारी कर्मचारी का फोटोयुक्त पहचान-पत्र

(11) कोई भी उद्यम एक से अधिक ज्ञापन फाइल नहीं करेगा;

(12) पते में परिवर्तन अथवा उद्यमों द्वारा कार्यकलापों में परिवर्धन (एडीशन) अथवा विलोपन (डिलीशन) अथवा अन्य परिवर्तनों के मामले में स्वामी अथवा प्रबंध साझेदार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट http://udyogaadhaar.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन उद्योग आधार ज्ञापन की फाइलिंग के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यमान ज्ञापन के संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है;

(13) संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबंधक उद्यम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की जाँच एवं सत्यापन करेगा तथा किसी विसंगति के मामले में उद्यम को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर देते हुए एक नोटिस जारी करेगा और निष्कर्षों के आधार पर वह ज्ञापन को संशोधित कर सकता है अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि पहले जारी किया गया हो, को रद्द कर सकता है।

IndiaCode

[फा. सं. ए-54(1)/2014-सीडीएन(खंड)]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः

i) जिन उद्यमों ने ईएम-II या लघु उद्योग पंजीकरण फाइल किया है, उन्हें यूएएम फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन वे इसे फाइल कर सकते हैं, यदि वे इसे करना चाहते हैं।

ii) ईएम-I को बंद कर दिया गया है तथा इकाई स्थापित करने के पश्चात् उद्यमी को यूएएम फाइल करना है जो लघु उद्योग पंजीकरण तथा ईएम-II को प्रतिस्थापित करता है। विनियामक प्राधिकरण, बैंक, यूटिलिटी आदि को ईएम-I पर जोर नहीं देना चाहिए।

फार्म I

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

MSME

	उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
	विनिर्माण	क	ख	ग
	सेवा	घ	ङ	च

उद्योग आधार ज्ञापन

1	आधार संख्या				
2.	पैन संख्या*				
3	उद्यमी का नाम				
4	सामाजिक श्रेणी	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
5	लिंग	पुरूष		स्त्री	
6	दिव्यांग	हाँ		नहीं	
7	उद्यम का नाम				
8	संगठन का प्रकार **				
9	संयंत्र/उद्यम का पता	फ्लैट/डोर/ब्लॉक सं.			
		परिसर/भवन/गाँव का नाम			
		रोड/स्ट्रीट/लेन		क्षेत्र/स्थान	
		शहर		पिनकोड	
		राज्य		जिला	
10	उद्यम के कार्यालय का पता				
		जिला		राज्य	पिन
	कृपया आधार अनुसार मोबाइल संख्या दें जिससे ओटीपी भेजी जाती है।	मोबाइल नः		ई-मेलः	
11	आरम्भ होने की तिथि				
12	पूर्व पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो	एसएसआई			
		ईएम-1			
		ईएम-2			
13	बैंक खाते का विवरण	आईएफएस कोड:			
		बैंक खाता:			
14	प्रमुख गतिविधि	विनिर्माण		सेवा	
15	राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण कोड				
16	उद्यम में कर्मचारियों की संख्या				
17	निवेश (संयंत्र और मशीनरी/उपकरण)				
18	जिला उद्योग केन्द्र				

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है। कोई सूचना जिसको सत्यापित किया जाना अपेक्षित हो, उसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रस्तुत करें

*किसी कंपनी या लिमिटेड देयता साझेदारी या सहकारी समिति या समिति या न्यास के मामले में

**(1) स्वामित्व, (2) हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), (3) साझेदारी, (4) सहकारी, (5) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, (6) सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, (7) स्व सहायता समूह, (8) अन्य

फार्म II

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

MSME

	उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
	विनिर्माण	क	ख	ग
	सेवा	घ	ङ	च

उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाण पत्र

उद्योग आधार संख्या											
उद्यम का नाम											
संयंत्र/उद्यम का पता	फ्लैट/डोर/ब्लॉक सं.										
	परिसर/भवन/गाँव का नाम						क्षेत्र/स्थान				
	रोड/स्ट्रीट/लेन						शहर				
	पिनकोड						राज्य				
	जिला						राज्य				पिन
कार्यालय का पता	मोबाइल. न.						ईमेलः				
आरम्भ करने की तारीख											
मुख्य गतिविधि	विनिर्माण						सेवा				
उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म						लघु				मध्यम
राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण कोड											
पूर्व पंजीकरण का ब्योरा - यदि कोई हो	एसएसआई										
	ईएम-1										
	ईएम-2										
रसीद	फाइल करने की तारीख						मुद्रण की तारीख				

IndiaCode

डिसक्लेमर: यह कम्प्यूटर सृजित विवरण है, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

udyogaadhaar.gov.in **से मुद्रित किया गया**

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

S.O. 2052(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), hereinafter referred to as the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 85(E), dated the 10th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th January, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf,

hereby specifies that any micro, small and medium enterprise shall file Udyog Aadhaar Memorandum (hereafter, referred to as the memorandum) in Form-I appended to this notification, in accordance with the following procedure, namely:—

(1) The memorandum shall be filed online on the website of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India at http://udyogaadhaar.gov.in;

(2) Every micro, small and medium enterprise engaged in the manufacturing of goods or rendering of services with total investment in plant and machinery within the limit specified in section 7 of the said Act, shall file the memorandum;

(3) Any number of activities including manufacturing or service or both may be specified in the memorandum;

(4) The proprietor in the case of a proprietorship firm, managing partner in the case of a partnership firm and a karta in the case of a Hindu Undivided Family(HUF), shall provide his Aadhaar Number in the memorandum;

(5) In case of a company or a limited liability partnership or a cooperative society or a society or a trust, Permanent Account Number(PAN) of the organisation along with Aadhaar number of the authorised signatory shall be specified in the memorandum;

(6) A one time password (OTP) for verification of the fresh memorandum as well as amending of the existing memorandum shall be sent on mobile phone linked to the Aadhaar number of the applicant and the applicant shall enter the OTP in the form before submitting the memorandum;

(7) The memorandum shall be filed on self certification basis and no additional document is required to be uploaded at the time of such filing:

Provided that the Central Government or the State Government or such person as may be authorised in this behalf may seek documentary proof of the information provided in the memorandum, wherever necessary;

(8) Udyog Aadhaar Registration Certificate in Form II shall be generated and mailed to the email address provided in the memorandum;

(9) There shall be no fee for filing the Udyog Aadhaar Memorandum;

(10) In case an applicant or the authorised signatory does not have Aadhaar number or in cases where online filing is not possible for any reason, a hard copy of the duly filled Form I, shall be submitted to the concerned District Industries Center (DIC) or to the Office of the Micro, Small and Medium Enterprise-Development Institute (MSME-DI) under the Development Commissioner, MSME alongwith the following documents as alternative and viable means of identification:

(a) (i) Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment; or

(b) any of the following documents of the applicant or the authorised signatory, namely:—

(i) Bank photo passbook; or

(ii) voter ID Card; or

(iii) passport; or

(iv) driving license; or

(v) PAN card; or

(vi) employee photo identity card issued by the Government.

(11) No enterprise shall file more than one memorandum;

(12) In case of change in address or addition or deletion of activities by the enterprises or for other changes, the proprietor or the managing partner or an authorised person may apply for amendment of the existing memorandum in accordance with the guidelines for filing the online Udyog Aadhaar Memorandum provided in the website of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, at http://udyogaadhaar.gov.in;

(13) The General Manager of the District Industries Center of the concerned district shall undertake enquiry and verification of the memorandum submitted by the enterprise and in case of any discrepancy, issue a notice to the enterprise, giving it an opportunity to present its case and based on the findings, he may amend the memorandum or cancel the Registration Certificate if already issued.

[F. No. A-54(1)2014-CDN(pt.)]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Note:

(i) Enterprises that have filed EM-II or SSI registration, shall not be required to file UAM but may file it, if they so desire.

(ii) EM-I has been stopped and after establishing a unit, an enterprise has to file UAM which replace SSI registration and EM-II. Regulatory authorities, banks, utility etc. should not insist on EM-I.

FORM-I

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

	Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
	Manufacturing	A	B	C
	Service	D	E	F

Udyog Aadhaar Memorandum

1	Aadhaar Number				
2	PAN Number*				
3	Name of Entrepreneur				
4	Social Category	SC	ST	OBC	General
5	Gender	Male	Female		
6	Physically Handicapped	Yes	No		
7	Name of Enterprise				
8	Type of Organisation **				
9	Location of Plant(s)/Enterprise(s)	Flat/Door/Block No.			
		Name of Premises/Building/ Village			
		Road/Street/ Lane		Area/Locality	
		City		Pin Code	
		State		District	
10	Official Address of Enterprise Please enter mobile number as in aadhaar for which OTP to be sent				
		District	State	Pin	
		Mobile No:		Email:	
11	Date of commencement				
12	Previous Registration Number-if any	SSI			
		EM-1			
		EM-2			
13	Bank Details	IFS Code:			
		Bank Account:			
14	Major Activity	Manufacturing	Service		
15	National Industry Classification Code				
16	Persons employed				
17	Investment (Plant and Machinery / Equipment's)				
18	District Industries Centre				

Declaration
I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information, that may be required to be verified, shall be provided immediately before the concerned authority.
Submit

***** In case of a company or a limited liability partnership or a cooperative society or a society or a trust.

**(1) Proprietary, (2) Hindu Undivided Family (HUF), (3) Partnership, (4) Co-Operative, (5) Private Limited Company, (6) Public Limited Company, (7) Self Help Group, (8) Others

IndiaCode

FORM-II

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

	Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
	Manufacturing	A	B	C
	Service	D	E	F

Udyog Aadhaar Registration Certificate

Udyog Aadhaar Number												
Name of Enterprise												
Location of Plant(s)/Enterprise(s)	Flat/Door/Block No.											
	Name of Premises/Building/ Village											
	Road/Street/ Lane								Area/Locality			
	City								PIN Code			
	State								District			
Official Address of Enterprise												
	District			State					PIN			
	Mobile No:						Email:					
Date of Commencement												
Major Activity	Manufacturing								Service			
Enterprise Type	Micro			Small					Medium			
National Industry Classification Code(s)												
Previous Registration Number-if any	SSI											
	EM-1											
	EM-2											
Acknowledgement	Date of Filing						Date of Printing					

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required.
Printed from udyogaadhaar.gov.in

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.04 13:14:03 +05'30'